महत्वपूर्ण एवं खास

धनागर के ग्रामवासियों ने सुनी पंचायत भवन में रमन के गोठ

रायगढ़- मुख्यमंत्री ने आज सुबह आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र से प्रसारित अपनी मासिक रेडियो वार्ता रमन के गोठ की 27वें कडी में संबोधित करते हुए विचार व्यक्त किए। रायगढ विकासखंड के धनागर ग्राम पंचायत भवन में रमन के गोठ का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डाँ सिंह ने कहा कि इस वष ॑धान बेचने के लिए पिछ्ले साल के मुकाबले 1 लाख 27 हजार से ज्यादा किसानों ने अपना पंजीयन कराया है इन्हें मिलाकर राज्य की सहकारी समितियों में धान बेचने के लिए पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या 15 लाख 79 हजार हो गई है। गत वर्ष की तुलना में यह सबसे ज्यादा है। उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन 2017 में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो रही हैए जो 31 जनवरी तक चलेगी। धान खरीदी के लिए सारी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। रमन के गोठ को सुनने के बाद श्री जगतु यादव श्री सखीलाल ने अपनी प्रतिक्रि या देते हुए खुशी जाहिर की और कहा कि शासन द्वारा इस वर्ष मक्के की दर में 60 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि करके अब 1425 रूपये कर दी गई है। श्रीमती इंदिरा महंत श्रीमती पुनीमति सिदार ने कहा कि सभी बुर्जुगों का ख्याल रखने और उनकी बेहतर देखभाल की चिंता हमारी सरकार ने कि है यह बात अच्छी लगी। इस अवसर पे धनागर के सरपंच श्रीमती सावित्री उरांवए उपसरपंच दुष्यन्त कुमार पटेल सचिव श्री लाल कुमार जायसवाल पंच श्यामाचरण पटेल मोहित लाल उरांव विकासखण्ड परियोजना अधिकारी श्री रामदीन गुप्ताए रोहिणी ए मंधर सतनामीए रथकुवर यादव सुमित्रा यादव मुक्ता बाई सिदार भुवन दास महंत चन्द्रकला यादव उत्तम सिदार रामबाई तिवारी एवं ग्रामवासी उपस्थित थे।

धारदार हथियार से युवक पर हमला

रायपुर, (**आरएनएस**)। मारूति बिजनेस पार्क के पास एक युवक ने नशे के हालत में दूसरे युवक से विवाद कर किसी चीज से मारकर चोट पहुंचाया। प्रार्थी की शिकायत पर आजाद चौक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी अमित ठाकुर पिता राजेश ठाकुर 22 वर्ष हाऊसिंग बोर्ड कालोनी कोटा का रहने वाला है। बताया जाता है कि कल रात प्रार्थी मारूति बिजनेस पार्क के तरफ घुमने गया था तभी मोहल्ले में ही रहने वाला आरोपी उमेश क्षत्री शराब के नशे में प्रार्थी के पास आया और गाली-गलौज कर किसी चीज से प्रार्थी के सीर व भुजा के पास मारकर चोट पहुंचाया। प्रार्थी की शिकायत पर आजाद चौक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 294,506बी,323 के तहत अपराध दर्ज किया है।

पत्नी की हत्या, पति को आजीवन कारावास की सजा

कोरबा, (**आरएनएस**)। चरित्र शंका पर पति ने चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या कर दी थी। अपर सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में पति को आजीवन कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार मोरगा पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत परला के ढोढ़ीबहार में रहने वाले पनिकराम बिंझवार 27 अपनी पत्नी सुंती बिंझवार के चरित्र पर संदेह करता था। इस बात को लेकर आए दिन पति-पत्नी के बीच विवाद होता था। 5 मई 2016 की शाम पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। रात करीब 9 बजे पनिक ने शौच के लिए जंगल की ओर जाने की बात पत्नी से कही। घर से निकलने से पहले पनिक ने अपनी 9 माह की पुत्री उमा को पिता के हवाले कर दिया। करीब एक घंटे बाद भी पति.पत्नी घर वापस नहीं लौटे। खोजबीन के दौरान सुंती की रक्तरंजित लाश तालाब के पास मिली थी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दूसरे दिन सुबह पुलिस को देखकर आरोपी पनिक फांसी के फंदे पर लटकने का नाटक करने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया। तब से यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश थामस एक्का के न्यायालय में चल रहा था। न्यायाधीश ने इस मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

धोखे से खरीदी गई कार को गिरवी रखने वाला युवक गिरफ्तार

रायपुर, (**आरएनएस**)। आईडी चुराकर फर्जी कागजात तैयार कर बैंक से लोन लेकर कार खरीदने और कार को गिरवी रखकर धोखाधड़ी करने वाले दो युवक को राजेन्द्र नगर पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार किया था। वहीं आज पुलिस ने इस मामले में कार को गिरवी रखने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। ज्ञात हो कि न्यू राजेन्द्र नगर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के मैनेजर प्रार्थिया एन.अंसारी पति ईदरीस अंसारी 35 वर्ष ने 26 अक्टूबर को थाने में शिकायत की थी कि 29 जुलाई 2017 को आरोपी अंकुश भारद्वाज, देवेंद्र सिंह कटरे एवं मनोरंजन बारीक ने मिलकर श्याम गाढ़े नामक व्यक्ति का आई.डी.चोरी कर उसमे अंकुश भारद्वाज का फोटो लगाकर एवं फर्जी कागजात बनाकर बैंक में खाता खुलवाया और शिवनाथ हुण्डई से कार का कोटेशन लेकर 4 लाख रूपये बैंक से लोन लेकर कार खरीदी कर लिए। जिससे प्रार्थिया की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420,467, 468, 120बी, 34 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी अंकुश भारद्वाज एवं मनोरंजन बारीक को पूर्व में गिरफ्तार किया गया हैं । आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उनके द्वारा धोखाधड़ी से खरीदे गये वाहन को चांदनी चौक नेहरू नगर निवासी आरोपी वसीम खान उर्फ मम्मा खान पिता हफीज खान 33 वर्ष के पास 95 हजार रूपए में गिरवी रखे है। जिससे पुलिस ने आरोपी वसीम को गिरफ्तार कर कार को जप्त कर लिया है।

कार ने तीन बाइक को ठोकर मारी, 3 घायल

महासमुंद, (**आरएनएस**)। भीमखोज थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग में एक कार ने तीन मोटर साइकिल को ठोकर मार दी जिससे तीन घायल हो गए घायलों में एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। आज सुबह करीब 12 बजे महासमुंद से बागबाहरा जा रही स्पोर्ट्स कार क्रमांक सीजी 12 एलएन 0052 तेलीबांधा के समीप टीवीएस सीजी 04 एलजे 1286, हीरो होंडा सीजी 06 ए 0682 और हीरों होंडा डीलक्स सीजी 04 ए2 4622 को ठोकर मार दी जिसमें राजिम निवासी चेतन, तेलीबांधा निवासी बाबूलाल दीवान और बम्हनी निवासी नागेश को चोटें आई है। सूचना पर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया घटना के बाद कार चालक फरार हो गया है उसकी तलाश की जा रही है।

सड़क दुर्घटना में घायल रिटायर्ड कर्मी की मौत

कोरबा,(**आरएनएस**)कुसमुंडा थानांतर्गत गंगा नगर के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार रिटायर्ड एसईसीएल कर्मचारी को ठेकर मार दी। घायल को उपचार के लिए चिकित्सालय ले जाया जा रहा था, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। दीपका पुलिस ने मर्ग कायम कर डायरी कुसमुंडा थाने भेज दी है।जानकारी के अनुसार कुसमुंडा गेवरा बस्ती में रहने वाले रिटायर्ड एसईसीएल कर्मचारी रामवन वास वैष्णव अपनी बाइक में शुक्रवार की शाम दीपका की ओर जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में रामवनवास सड़क पर गिर गया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई। राहगीर उन्हें गेवरा स्थित नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में उपचार के लिए ले जा रहे थे, इस बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई। दीपका पुलिस मर्ग कायम कर मामले की विवेचना कर रही है।

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र की

खरसिया,सारंगढ़, पुसौर, तमनार,घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में ऐजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें

श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO.-CHHHIN16931